F-07-11



## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1030 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1030

विषय/Sub: सीलिंग रिंग्स - पाँच टाइप Sealing Rings - Five Types

यह घोषित किया जाता है कि स्वदेशी वाइटन बेस रबड़ काम्पाउंड बीपी-वी-50 (टीए सं. 859) से निर्मित मेसर्स एच ए एल, लखनऊ द्वारा अभिकल्पित एवं मेसर्स बी.पी.इंजिनीर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जी-6, मुरली भवन, 10-ए अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "सीलिंग रिंग्स – पाँच टाइप "अनुलग्नक 'ए' में दिए गए पार्ट संख्याओं के अनुसार संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1030, दिनांक 31 मार्च 2004 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1030 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1030/1आर, दिनांक 29 मई 2009 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 30 जून 2014 तक वैध था।

This is to state that the "Sealing Rings – 5 Types" made out of indigenous Viton based rubber compound RP-V-50 (TA No. 859) bearing part Nos as per Annexure – I designed by M/s. HAL, Lucknow, Developed and Manufactured by M/s. B. P Engineers (Pvt) Ltd, G-6, Murli Bhawan, 10-A Ashok Marg, Lucknow – 226 001, was issued with Type Approval No. 1030 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1030, Dated: 31st March 2004 and was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1030/1R, Dated: 29th May 2009 which was valid upto 30th June 2014.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2016** से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसंबर 2020** तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के **तीन महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए(लखनऊ),** द्वारा एच ए एल लखनऊ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ – 226 016 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगीं।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> January 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid upto 31<sup>st</sup> December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), C/o. HAL Lucknow Division, Barabanki Road, Lucknow – 226 016, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1030/2R

दिनांक/Date : 🎢 January 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)